प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 5/2349/204–5/65/2014 लखनऊ दिनॉक: 07 अक्टूबर, 2015

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बायो इनर्जी मिशन मॉडल संयत्र लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत अन्य कार्यो के साथ–साथ प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ0प्र0 के द्वारा विकसित मॉडल बायोगैस इकाईयॉ ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निदेश शासनादेश संख्या 1621/33–3 –2015–154/2014 टीसी दिनॉक 29 जून, 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के कियान्वयन हेतु पूर्व में निदेशालय से निर्देश क्रमशः सं0 5/2085/204–5/2014 दिनॉक 3 सितम्बर, 2015 तथा संख्या 5/2167/204–5/2014 दिनॉक 18 सितम्बर, 2015 पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

इस दौरान यह अनुभव किया गया है कि यदि इस कार्यकम के कियान्वयन में ''जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति/ जिला स्वच्छता समिति'' में उक्त परियोजनाओं की तकनीकी चर्चा अवश्य कर ली जाय। लाभार्थियों के चयन हेतु बायो इनर्जी मिशन सेल तथा यूनिसेफ द्वारा पूर्व में प्रशिक्षित युवाओं/जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति में नामित अग्रणी किसान/सहायक विकास अधिकारी(पं0)/ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाये। इस प्रकार जनपद में आसानी से अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन सम्भव हो सकेगा तथा राष्ट्रीय महत्व की जैव ऊर्जा परियोजना, जो प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों में स्वच्छता एवं मानव स्वास्थ्य तथा आर्गेनिक खेती से सीधे जुड़ी हुयी है, का कियान्वयन आसान हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त कियान्वयन की सूचना निदेशालय के साथ–साथ राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, कक्ष सं0–534, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ को सीधे प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि राज्य स्तरीय स्टेट स्कीम सैक्सनिंग कमेटी से इसके प्रस्ताव पर प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जा सके।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक।

संख्याः 5/2349/1/2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।

4— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5— मुख्य कार्यपालक अधिकारी,स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, आईडब्लूएमपी,सिचाई विभाग,विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।

6— राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0।

7— संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक।

d:\hly (s)\2014-15 & 2015-16 mislenius letter & other-(s) new.doc

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/2167/204 –5/ /2014 लखनऊ दिनांकः 18 सितम्बर, 2015

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु बायो इनर्जी मिशन माडल संयत्र लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत अन्य कार्यो के साथ साथ प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ0प्र0 के द्वारा विकसित माडल बायोगैस इकाइयां ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निदेश शासनादेश संख्या 1621/33–3–2015–154/2014 टीसी दिनांक 29 जून 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रकार के लौह निर्मित सांचे की आवश्यकता होती है। लौह निर्मित सांचे के निर्माण हेतु निदेशालय स्तर पर फर्मो का इम्पेनलमेंट किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है। आप अपने जनपद के निकटवर्ती फेब्रीकेटर से सांचे का क्रय कर सकते हैं, ताकि परिवहन लागत न्यूनतम हो। सांचे की अनुमानित लागत रु0 2.89 लाख और वाइब्रेटर की लागत रु0 0.28 लाख है। सम्बंधित उत्पादों पर शासनादेश संख्या KANI-2-1834/XI-9(205)/2014-UP Act-5-2008-order-(126)-2014 दिनांक 29 दिसम्बर 2014 द्वारा बायो फ्यूल तथा बायो फ्यूल मशीनरी पर आगामी 10 वर्ष तक वैट में शत प्रतिशत छूट की सुविधा प्रदान की गयी है। व्यक्तिगत इकाई की अनुमानित लागत (खाना पकाने हेतु बायोगैस ईधन) रू. 0.53 लाख तथा परिवार साइज इकाई की अनुमानित लागत (खाना पकाने हेतु बायोगैस ईधन तथा घरेलू स्तर के विद्युत उत्पादन हेतु) रू. 1.238 लाख है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि यदि लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत घर में एक डायजेस्टर निर्मित कराया जाता है तो रू. 0.40 लाख तथा दो डायजेस्टर निर्मित कराये जाने की स्थिति में रू. 0.60 लाख की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन मद से किया जायेगा। सामुदायिक इकाइयों का निर्माण नियमानुसार कराया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बंधित फर्म से सम्पर्क कर सांचा क्रय करा कर बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां अधिष्ठापित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

18.8.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक

संख्या:5/ /1/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।

2–प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4–राज्य समन्यवक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0।

5–संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक

बायो इनर्जी मिशन माडल संयत्र लगाने हेतु सांचा (मोल्ड) तैयार करने हेतु फर्मो की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मोबाइल नम्बर / ई मेल
1	निदेशक, श्री दुर्गा, इन्जिनियरिंग, वर्क प्रा0 लि0, 18–सी, पोखरपुर, लालबंगला, कानपुर, 208010	9235504050
2	प्रोप्राइटर, स्मृति फैब्रिकेटर, 123 / 64, गडरियनपुरवा, कानपुर नगर	9839089558
3	सलेसर, एग्रोटेट प्रा0 लि0, फ्लेट न0 19 एवं 20, प्रीतम कानप्लेक्स , ओल्ड भंडारा रोड, सुदर्शन स्क्वायर, जनपद नागपुर,	9823478000
4	कृष्ण गोपाल, कविता कांस्ट्रक्शन, ग्राम सीना पो0 / तहसील--मावाना जिला मेरठ।	9927624992
5	शिव शरण भटिया, एम0एस0 इंडस्ट्रीज, शेड न0–3 प्लाट न0–670, ग्राम बीबीपुर, पो0–बन्थरा, कानपुर रोड जिला लखनऊ।	9839933747
6	सी.ई.सी. आन पौलीटेक सिस्टम, प्राईवेट लि0, 5, कामता, नियर सुरेन्द्रनगर गेट, फैजाबाद रोड, लखनऊ	9415002252 9415002253
7	मॉ शारदा विकास सेवा संस्थान, ग्राम पटहुऑ, पो0 सेवटा, जनपद आजमगढ़	9451672531 8423900797
8	प्रशान्त तिवारी मैनेजर, विश्वा ट्रेडर्स, 74 / 2015, धनकुटी, जनपद कानपुर	9839033628 7408444488
9	वरूण खरे, ए.एम.वी.वी. इन्टरप्राइजेज 114 / 42, तकिया घमी शाह नया गांव(वेस्ट) अमीनाबाद, जिला लखनऊ	9532997997
10	गोपाल अग्रवाल, प्रोप्राइटर न्यू इन्दिरा स्टील्स, 25–ए, तालकटोरा रोड, जिला लखनऊ	9335926114 9044748811
11	जयदीप भारगवा, विद्या इन्जिनियरिंग, वर्क, 501 ग्यान गंगा एपट्स, 179, फैजाबाद रोड जनपद लखनऊ।	9415021905 8005497373
12	लाल बहादुर, विश्वकर्मा स्टील एण्ड विलडिंग वर्कस, ग्राम मोहनपुर पहाड़ी पो0 मोहनपुर भावरखा, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर पिन–231001	8115539161 9450320314
13	दिलीप कुमार सिंह, शिखा इन्जिनियरिंग वर्क शाप, (बायोगैस प्लान) बाड़ापुर, पो0 कछवा बाजार, वि0ख0–मझवॉ तहसील–सदर,मिर्जापुर।	7786918100
14	मो0 आरिफ, आजाद नगर, कोंच, जनपद जालौन	9415925496
15	डी0के0 एण्ड कम्पनी , राजेन्द्र नगर उरई, जनपद जालौन	9415187843
16	देवदत्त जन कल्याण संस्थान, ग्राम / पो0 सठियॉव, जिला आजमगढ़	9453990837
17	महेन्द्र कुमार, राज इन्टरप्राइजेज, पाठक बिल्डिंग, ज्ञानपुर भदोही	9935794040
18	डा0 एल0 शेखर, सोसाइटी फार द एडवांस आफ इन्वायरोनमेंटल साइंस, 222 चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज लखनऊ	98390703461
19	अमरनाथ शर्मा, साकेत महिला समाजोत्थान शिल्प एवं ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम भरथरी, पो0 समेदा, त0 सदर, आजमगढ़	9415836438

02.8.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/2085/204 –5/ /2014 लखनऊ दिनांकः 3 सितम्बर, 2015

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु बायो इनर्जी मिशन माडल संयत्र लगाने हेतु सांचा (मोल्ड) क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या 1621/33–3–2015–154/2014 टीसी दिनांक 29 जून 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रकार के लौह निर्मित सांचे की आवश्यकता होती है। लौह निर्मित सांचे के निर्माण हेतु निदेशालय स्तर पर फर्मो का इम्पेनलमेंट किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बंधित फर्म से सम्पर्क कर सांचा क्रय करा कर बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां अधिष्ठापित कराने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02.9.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

संख्याः5/2085/1/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–राज्य समन्यवक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4–संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
5–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

F:\p raj\d data\HLY(W)\2014-15 Mislenius Lette & Note (W) Old.doc

बायो इनर्जी मिशन माडल संयत्र लगाने हेतु सांचा (मोल्ड) तैयार करने हेतु फर्मो की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मोबाइल नम्बर / ई मेल
1	निदेशक, श्री दुर्गा, इन्जिनियरिंग, वर्क प्रा0 लि0, 18–सी, पोखरपुर, लालबंगला, कानपुर, 208010	9235504050
2	प्रोप्राइटर, स्मृति फैब्रिकेटर, 123 / 64, गडरियनपुरवा, कानपुर नगर	9839089558
3	सलेसर, एग्रोटेट प्रा0 लि0, फलेट न0 19 एवं 20, प्रीतम काम्पलेक्स , ओल्ड भंडारा रोड, सुदर्शन स्क्वायर, जनपद नागपुर,	9823478000
4	कृष्ण गोपाल, कविता कांस्ट्रक्शन, ग्राम सीना पो0 / तहसील–मावाना जिला मेरठ।	9927624992
5	शिव शरण भटिया, एम0एस0 इंडस्ट्रीज, शेड न0–3 प्लाट न0–670, ग्राम बीबीपुर, पो0–बन्थरा, कानपुर रोड जिला लखनऊ।	9839933747
6	सी.ई.सी. आन पौलीटेक सिस्टम, प्राईवेट लि0, 5, कामता, नियर सुरेन्द्रनगर गेट, फैजाबाद रोड, लखनऊ	9415002252 9415002253
7	माँ शारदा विकास सेवा संस्थान, ग्राम पटहुऑ, पो0 सेवटा, जनपद आजमगढ़	9451672531 8423900797
8	प्रशान्त तिवारी मैनेजर, विश्वा ट्रेडर्स, 74 / 2015, धनकुटी, जनपद कानपुर	9839033628 7408444488
9	वरूण खरे, ए.एम.वी.वी. इन्टरप्राइजेज 114 / 42, तकिया घमी शाह नया गांव(वेस्ट) अमीनाबाद, जिला लखनऊ	9532997997
10	गोपाल अग्रवाल, प्रोप्राइटर न्यू इन्दिरा स्टील्स, 25–ए, तालकटोरा रोड, जिला लखनऊ	9335926114 9044748811
11	जयदीप भारगवा, विद्या इन्जिनियरिंग, वर्क, 501 ग्यान गंगा एपट्स, 179, फैजाबाद रोड जनपद लखनऊ।	9415021905 8005497373
12	लाल बहादुर, विश्वकर्मा स्टील एण्ड विलडिंग वर्कस, ग्राम मोहनपुर पहाड़ी पो0 मोहनपुर भावरखा, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर पिन–231001	8115539161 9450320314
13	दिलीप कुमार सिंह, शिखा इन्जिनियरिंग वर्क शाप, (बायोगैस प्लान) बाड़ापुर, पो0 कछवा बाजार, वि0ख0–मझववॉ तहसील–सदर,मिर्जापुर।	7786918100
14	मो0 आरिफ, आजाद नगर, कोंच, जनपद जालौन	9415925496
15	डी0के0 एण्ड कम्पनी , राजेन्द्र नगर उरई, जनपद जालौन	9415187843
16	देवदत्त जन कल्याण संस्थान, ग्राम / पो0 सठियॉव, जिला आजमगढ़	9453990837
17	महेन्द्र कुमार, राज इन्टरप्राइजेज, पाठक बिल्डिंग, ज्ञानपुर भदोही	9935794040
18	डा0 एल0 शेखर, सोसाइटी फार द एडवांस आफ इन्वायरोनमेंटल साइंस, 222 चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज लखनऊ	98390703461
19	अमरनाथ शर्मा, साकेत महिला समाजोत्थान शिल्प एवं ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम भरथरी, पो0 समेदा, त0 सदर, आजमगढ़	9415836438

02.8.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/1512/2015-5/ /20 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2015

विषयः ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदनोपरान्त निदेशालय को प्रेषित की जानी है।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के अनुसार ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सोख्ता गड्ढा, खाद गड्ढा, बायो-गैस संयंत्र आदि का निर्माण कराया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 05 व्यक्तिगत बायो-गैस संयंत्र लगाने का प्रयास किया जाए। लाभार्थी का चयन करते समय ध्यान दिया जाये कि उसके पास कम से कम दो जानवर अवश्य हों।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 05 व्यक्तिगत बायो-गैस संयंत्र लगाने हेतु प्रस्ताव जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन कराकर निदेशालय को उपलब्ध करायें, जिससे मॉडल के तौर पर बायो-गैस संयंत्र लगाये जा सकें।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः 5/1512/1/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, बायो-गैस इनर्जी मिशन सेल।

डी0-124
07/7/15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

07/07/15

1621
संख्या : /36–3–2015–154/2014टीसी

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक: 29 जून ,2015

विषयः—ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्था/कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस अभियान का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्राम पंचायतें स्थायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सीवेज चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरा को अलग–अलग करना तथा उसका निपटान करना इत्यादि जैसे क्रियाकलाप शुरू किये जा सकते हैं। बायोइनर्जी मिशन द्वारा गोबर तथा बायोडिग्रेडेबिल कचरे से घरेलू गैस बनाने का संयत्र विकसित किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुये पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से निर्गत राज्य जैव ऊर्जा नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा नीति/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:—

.....2/—

(क) प्रदेश में लागू ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन को योजनाबद्ध/चरणबद्ध
रूप से अभियान के रूप में संचालित किया जाय। इस कार्य को प्रदेश की समस्त
ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित वित्तीय सहायता से परियोजना
आधार पर संचालित/क्रियान्वित किया जाये। इसके तहत कम्पोस्ट किट, वर्मी
कम्पोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र/सामुदायिक बायोगैस संयंत्र,
कचरा के निस्तारण/तत्समान क्रियाकलाप इत्यादि किये जायेंगे।

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्त पोषण,
केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। प्रत्येक ग्राम
पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर सहायता का निर्धारण किया
जाता है, जो 150 परिवार वाले ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम 7.00 लाख रू0,
150 से अधिक तथा 300 परिवार वाले ग्राम पंचायतों के लिये 12.00 लाख रू0,
300 से अधिक तथा 500 से परिवारों तक की ग्राम पंचायतों के लिये 15.00 लाख
रू0 तथा 500 से अधिक परिवारों के लिये 20.00 लाख रू0 की सहायता प्रदान
की जाती है।

(ग) ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार कर जिला स्वच्छता समिति से
अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ
को भेजी जायेगी, जिसका निदेशालय स्तर पर गठित स्टेट लेविल स्कीम
सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(घ) प्रश्नगत प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों में, जन सामान्य के स्तर पर उपलब्ध
समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कचरे जैसे- गोबर, जानवरों का बचा चारा, खेत
की निराई के उपरान्त घासफूस, सगन्ध फसलों के आसवन के उपरान्त प्राप्त
अपशिष्ट, ग्रामीण हाट में उपलब्ध खराब तथा सड़ी सब्जी इत्यादि को स्थापित
संयंत्र में प्रयोग करके/उपयोग कर घरेलू गैस ईंधन का उत्पादन भी अतिरिक्त
रूप से किया जा सकेगा, जो न केवल जन सामान्य की दैनिक आवश्यकताओं
की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, अपितु रोजगारपरक तथा आर्थिक दृष्टि से
लाभदायक भी है। यह संयंत्र बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0
तथा यूनिसेफ लखनऊ के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है।

(च) उक्तानुसार निर्मित/स्थापित सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों/इकाईयों के
संचालन हेतु स्थानीय स्वरोजगारोन्मुखी व्यक्तियों/लाभार्थी समूहों से इसके
प्रबन्धन/संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्तिगत बायोगैस
इकाई की स्थापना की स्थिति में उसका प्रबंधन सम्बंधित लाभार्थी द्वारा किया
जायेगा।

(छ) पंचायतें अपनी-अपनी स्वामित्व की रिक्त/खाली पड़ी भूमि पर बायोगैस
संयंत्र से प्राप्त स्लरी का उपयोग कर आर्गेनिक खेती हेतु प्रयास
करेंगी/जनमानस में इसे बढ़ावा देंगी/अभिप्रेरित करेंगी।

(ज) प्रत्येक स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा
प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि के लिए बायो इनर्जी मिशन सेल का सहयोग प्राप्त
किया जायेगा।

....3/-

(झ) उक्त संयंत्र/व्यवस्था से घरेलू उपयोग हेतु गैस ईंधन के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद भी प्राप्त होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस गैस का उपयोग घरेलू/व्यावसायिक उपयोग तथा विद्युत उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है। बी0इ0एम0सी-यूनिसेफ नामक इस मॉडल की निःशुल्क विस्तृत जानकारी श्री पी0एस0 ओझा, राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, कक्ष संख्या-534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ 226001 फोन/फैक्स: 0522-2236213, मोबाइल नं0 : 09415004917, email: ps_ojha @ yahoo.com, Website : http//jetropha. up.nic.in अथवा निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, छँठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ, फोन - 0522-2286646, फैक्स- 0522-2286611, email: panchraj @nic.in, Web- panchayatiraj.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सं0 : 1621 (1) 33-3-2015- तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,उ0प्र0शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6- निदेशक, पंचायती राज, लेखा उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0/उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक।
8- अपर आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0शासन।
9- राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
10- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, उ0प्र0 ।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।